(Online No. 2022/125)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा जिला भीलवाडा(राज0)

सीता पत्नी शंकरलाल रेगर **बनाम** अम्बालाल पिता छोगालाल कुमावत

धारा 111–128 एल0आर0ए मुकदमा 93/2022

22.02.2022 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीया अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय संलग्न है। प्रकरण निर्णित शुमार हो नम्बर से कम किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी ओम प्रभा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर–93/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्रीमति सीता पत्नी शंकरलाल रेगर निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा।

बनाम — **प्रार्थीया**

1. अम्बालाल पिता छोगालाल कुमावत निवासी कोचरिया तहसील व जिला भीलवाडा।
2. सोहन पिता छोगालाल कुमावत निवासी कोचरिया तहसील व जिला भीलवाडा।
3. मांगीलाल पिता मोडीराम रेगर निवासी कोचरिया तहसील व जिला भीलवाडा।
4. गंगाराम पिता मोडीराम रेगर निवासी कोचरिया तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्रीमति नोजीदेवी पुत्री मोडीराम रेगर निवासी कोचरिया तहसील व जिला भीलवाडा।
6. श्रीमति देवी पुत्री मोडीराम रेगर निवासी कोचरिया तहसील व जिला भीलवाडा।
7. श्रीमति गटूदेवी पुत्री मोडीराम रेगर निवासी कोचरिया तहसील व जिला भीलवाडा।
8. हरदेव पुत्र मोडीराम रेगर निवासी कोचरिया तहसील व जिला भीलवाडा।
9. उदयलाल पिता मोडीराम रेगर निवासी कोचरिया तहसील व जिला भीलवाडा।
10. सोहनलाल पिता मोडीराम रेगर निवासी कोचरिया तहसील व जिला भीलवाडा।
11. मनोज पिता भंवरलाल आगाल निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 22.02.2022

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कोचरिया प0ह0 कोचरिया भू0अ0नि0 गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या–72 में स्थित आराजी नम्बर 72 रकबा 0.4299 हैक्टयर भूमि का खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीया एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीया अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 ग्राम कोचरिया प0ह0 कोचरिया भू0अ0नि0 गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या–72 में स्थित आराजी नम्बर 72 रकबा 0.4299 हैक्टयर भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का अभिलेख में किसी प्रकार हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अत: नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अत:एंव

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

// आदेश //

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा–111–128 राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम कोचरिया प0ह0 कोचरिया भू0अ0नि0 गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा के खाता संख्या–72 में स्थित आराजी नम्बर 72 रकबा 0.4299 हैक्टयर भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजकीय पत्थरगढी शुल्क 100/– रूपये तहसीलदार भीलवाडा के यहाँ संबंधित मद में प्रार्थीया जमा करावे। पत्थरगढी किये जाने के लिये **भू0अ0निरीक्षक गुरलां 500/–रूपये (पांच सौ रूपये)** कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर विपक्षीगण को विधिवत सूचना देकर उन्हे मौके पर उपस्थित रहने हेतु अवगत करावे। कमिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीया की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीया को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रार्थीया की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयो में कार्यवाही विचाराधीन होने एंव स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावे।

अतः भू0अ0नि0 गुरलां जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीया व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।

पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार भीलवाडा को पालना हेतु लिखा जावे।

(ओम प्रभा)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

निर्णय आज दिनांक 22.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा